

संस्कृत भाषा में जो कार्य की आवश्यकता महसूस की जायेगी।
संस्कृत भाषा का अनुवादक किसे जो अनुवाद भाषा का अनुवाद किसे जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

प्रति

090- 811001100 8110011002 1/0558-4809

दिनांक: 08/06/20

पता-

090-811001100 BHASKAR POLYTECHNIC COLLEGE, SHAMLI ROAD, KAIRANA, SHAMLI



(सुनील कुमार शर्मा)

प्रति

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2018/688

लखनऊ दिनांक 10-5-2018

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निर्देशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/परिष्कारण/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-2 में पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

- संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2018-19 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा त्रिवे मंचे निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/पूर्व से अनुमोदित प्रवेश क्षमता	बैठक द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	688	भारत रासायनिक कार्बन, लखनऊ रोड, बीरगंज, लखनऊ	मेकै इंजी (अपेडि) मिथिल इंजी. इलेक्ट्रिकल इंजीग मेकेनिकल इंजीग (डीसी) मेकेनिकल इंजीग	80 80 80 80 80	80 80 80 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय चारमेसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु ₹०- 20,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- 21,500.00 शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लस द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2018-2019 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो फीस की नवीनताम देने लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियंत्रण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एअरिडिप्लोमा से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/प्रविनियमों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किन्तु यह इन कार्यों को पाठ्यक्रम की संशोधन यदि ऐसी/आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्थ में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई खर्च वापर किया जाता है तथा वापर वाप को संस्थ में नए न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संस्था की अपनी होगी।
- ✓ किन्तु यह इन कार्यों को पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु अद्यतनित प्राप्त होने के पूर्व एअरिडिप्लोमा से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आदेशों को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा ऐसे प्रवेश की (आधुनिकता के सम्बन्ध से अथवा संस्था सत्र पर तीर्थे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक परिचयपत्र, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रविज्ञान हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ पैगिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अद्यतित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अतिरिक्त, भूमि-खत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दी का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनोत्पन्न कार्यवाही की जायेगी।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2018/888-1518

सत्र दिनांक 18-8-2018

✓ प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, भास्कर पाठीदेविका कालेज, शाहली रोड, कौराना, शाहली।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव